

प्राथी

अप्राथी

राणाराम पुत्र वीरकाराम
निवासी जुवलीगंज

बनाम

उपतहसीलदार, कैलाशनगर

अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम की धारा 1956 के तहत

प्रकरण सं०- 34 / 2022

—:आदेश:—

प्राथी श्री राणाराम पुत्र वीरकाराम जाति रेवारी निवासी जुवलीगंज तह० शिवगंज द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम की धारा 1956 के तहत पेश किया जिसमें उन्होंने शपथ पत्र व अन्य दरतावेज पेश कर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम रोणियाराम पुत्र वीराराम के स्थान पर राणाराम पुत्र वीरकाराम दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रकरण की जांच पटवारी हल्का-मनादर-2 भू-अभिलेख निरीक्षक कैलाशनगर व उपतहसीलदार कैलाशनगर की अनुशंका के आधार पर ग्राम मनादर-2 के खसरा नं० 1929/1 व अनुसार प्राथी श्री रोणियाराम पुत्र वीराराम जाति रेवारी का वास्तविक नाम राणाराम पुत्र वीरकाराम जाति रेवारी निवासी जुवलीगंज तहसील शिवगंज होने के कारण जमावंदी में शुद्धीकरण किये जा का आदेश दिया जाता है। तदनुसार उपतहसीलदार कैलाशनगर राजस्व रेकर्ड में अमल दराम कर पालना इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

सुपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2022/ 285
प्रतिनिधि पालनार्थ।

दिनांक 23.9.2022

उपतहसीलदार / उपतहसीलदार शिवगंज / कैलाशनगर



सुपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

